न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 259/2021 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवान :–

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. भाखरराम पुत्र चिमाराम 2. तीजो देवी पत्नी भाखरराम जाति विश्नोई निवासी चितलवाना हाल निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	1. नजर मोहम्मद पुत्र रहीम 2. जमालदीन पुत्र रहीम 3. लाल मोहमद पुत्र रहीम 4. अकबर पुत्र रहीम 5. नाजी पत्नी रहीम 6. झण्डा पुत्र अलण 7. दाउ पुत्र अलण 8. जुसब पुत्र सिदिक 9. इस्माईल पुत्र सिदिक 10. सफी मोहमद पुत्र सिदीक 11. अरबाब पुत्र सिदिक 12. अब्दुला पुत्र हाजी पिनल 13. करीम पुत्र हाजी पिनल जातियान मुसलमान निवासीगण सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थी :– श्री बाबूलाल विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 01 से 13 के वकील– श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक:– 23/07/25

प्रार्थीगण भाखरराम पुत्र चिमाराम जाति विश्नोई निवासी चितलवाना हाल निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण काश्तकार है एवं प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जाकाश्त खेत खसरा संख्या 166 रकबा 52.03 बीघा किस्म बारानी सोयम ग्राम सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया भू अभिलेख निरीक्षक सेड़वा तहसील सेड़वा में आया हुआ है। जिस पर [illegible] अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणियों टांके व [illegible] हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणियों पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण संख्या 01 से 15 तक के [illegible]दारी के खेत खसरा संख्या 168 रकबा 23.

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

18 बीघा में चल कर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है तथा यह एक मात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खेत खसरा संख्या 166 रकबा 52.03 बीघा के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के अपने जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थीगण अपनी ढाणी आदि जाने में रूकावट पैदा होती है। अतः निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत सालारिया पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 166 रकबा 52.03 बीघा में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 168 रकबा 23.18 बीघा में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे 1536 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/226 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई,जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण उपस्थित मिले। मौके पर वादीगण व गांव मुखिया मौतबरानों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआवना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकबर वगैरा	168	3–8688 हैक्टेयर	20	0–0780 हैक्टेयर	सालारिया	32760/–	बा.सो

ग्राम सालारिया के खसरा संख्या 166 के खातेदार भाखराराम पुत्र चिमाराम जाति विश्नोई निवासी चितलवाना हाल निवासी सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा अपने खेत तक आने जाने के लिए अकबर वगैरा के खेत खसरा संख्या 168 रकबा 3–8688 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 में से कटान रास्ते की मांग की है, प्रार्थी द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के [illegible] विकल्प उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आवागमन योग्य है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार का कीमती पेड़, मकान आदि नहीं है। वर्तमान में भूमि मौके पर खाली है। प्रार्थी द्वारा मांगे गए प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ग्राम फागलिया की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा निर्धारित की गई कृषि भूमि की दर सिंचित सड़क के पास 420000/– प्रति हैक्टेयर है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 166 तक पहुंचने हेतु ग्राम सालारिया के खसरा संख्या 168 में से प्रस्तावित रास्ते को संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। संलग्न नक्शा फर्द मौका का अभिन्न अंग है। फर्द मौका पढकर मौके पर सुनाई गई, सही होना स्वीकार कर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाए गए।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अकबर वगैरा	168	3–8688 हैक्टेयर	20	0–0780 हैक्टेयर	सालारिया	32760/–	बा.सो

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा इस अधिनियम में इस नियम 70(1) में स्पष्ट है कि यदि पक्षकार प्रतिकर(मुआवजे) की राशि पर परस्पर रूप से सहमत हो जाते हैं, तो उपखण्ड अधिकारी परस्पर हुए करार(एग्रीमेण्ट) के अनुसार प्रतिकर की राशि अवधारित करेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विप्रार्थीगण द्वारा नए रास्ते में समाविष्ट भूमि अपने हिस्से में से बिना कोई प्रतिकर(निःशुल्क) देने की लिखित सहमति प्रस्तुत की है।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 मय [illegible] संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20.00 फीट चौड़ा [illegible] निःशुल्क(विप्रार्थीगण की सहमति

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

के आधार पर) दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट दिनांक 21.04.2025 मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
2. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
3. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 23/07/25 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

भू.अ./2025/226 दिनांकः–19.05.2025

प्रतः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 259/2021 अनवान भाखराराम वगैरह बनाम नजरमोहमद वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 259/2021 अनवान भाखराराम वगैरह बनाम नजरमोहमद वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम सालारिया के खसरा **168** में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सेड़वा द्वारा दिनांक **21.04.2025** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पन्नाराम चौधरी)

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय के राजस्व अपील सं. 259/2021 अववान भाखराराम कोरा बनाम नजर मोहम्मद कोरा में

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ......बगाराम...... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त......सेड़वा......, कार्यालय, तहसीलदार ......सेड़वा...... के आदेश कमांक ....427.... दिनांक 18/04/25 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 21/04/25 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर–...168.... वाके ग्राम सालारिया पटवार मंडल ....सालारिया.... पर श्री .... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

निरीक्षक(भू.अ.)

समस्त पक्षकारों को ~~तहसील~~ कार्यालय से नोटिस कमांक 1044–1056 दिनांक 27/03/25 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

प्रार्थी कोरा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	नजरमोहम्मद	पुत्र रहीमखां	45	मुसलमान	अप्रार्थी
2	अकबर	पुत्र रहीमखां	30	मुसलमान	अप्रार्थी
3	जमालखां	पुत्र रहीमखां	40	मुसलमान	अप्रार्थी
4	झण्डाखां	पुत्र अलण	60	मुसलमान	अप्रार्थी
5	अब्दुला	पुत्र हाजीपीरल	62	–"–	–"–
6	ईस्माईल	पुत्र सदीक	48	–"–	–"–
7	सफीमोहम्मद	पुत्र सदीक	42	–"–	–"–
8	करीम	पुत्र हाजीपीनल	55	–"–	–"–
9	युसब	पुत्र सदीक	50	–"–	–"–
10	दाऊ	पुत्र अलण	55	–"–	–"–
11	अरबाब	पुत्र सदीक			

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :–

क्र.सं.	खातेदार मय पता	ग्राम	खसरा	रकबा	रास्ते की चौड़ाई	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	किस्म
1	अकबर जमालदीन नजरमोहम्मद लालमोहम्मद पि० रहीम नाजी पत्नी रहीम 1/8 हि० रहन- SBBJ शाखा सेड़वा झण्डा राजू दाऊ पि० अलण हि० 3/8 रहन– SBBJ शाखा सेड़वा अब्दुला करीम हि० 1/3 अरबाब युसब इस्माईल पि० सदीक सलमित पत्नी सदीक 2/15 हि० सफीमोहम्मद पुत्र सदीक 1/30 हिस्सा जाति मुसलमान सा० देह खातेदार	सालारिया	168	3.8688 हे०	20 फीट	0.0780 हेक्टर	32760/- रु.	बारानी

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को ... लाल ... गया है उक्त रास्ते में किसी प्रकार का मकान, पेड नही है प्रस्तावित रास्ता की भूमि ... पर खाली है प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है ग्राम सालारिया के खसरा सं. 168 की DLC दर सिंचित (सड़क पास) 420,000/- रूपये प्रति हेक्टर है संलग्न नक्शा मौका फर्द ... शामिल संग है

पट०

ILR सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	नजरमोहम्मद पुत्र	रहीमखां	मुसलमान	नजरमोहम्मद	अप्रार्थी
2.	अकबर पुत्र	रहीमखां	मुसलमान	[illegible]	अप्रार्थी
3	जमालखां पुत्र	रहीमखां	मुसलमान		अप्रार्थी
4.	सण्डाखां पुत्र	[illegible]	-''-		अप्रार्थी

उपस्थित क्र.सं. 5 से 11 विप्रार्थीगणों ने हस्ताक्षर किये

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
	—	'' —			

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1	हमीदा पुत्र	मीठाखां	45	मुसलमान	रा० सालारिया

इस प्रकार आज दिनांक 21/5/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 01/04/2025 01:49:25 PM

[illegible]: बाड़मेर | तहसील : सेडवा | भू. अ. नि. क्षेत्र : सेडवा

[illegible]का : सालारिया | ग्राम : सालारिया

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेडवा

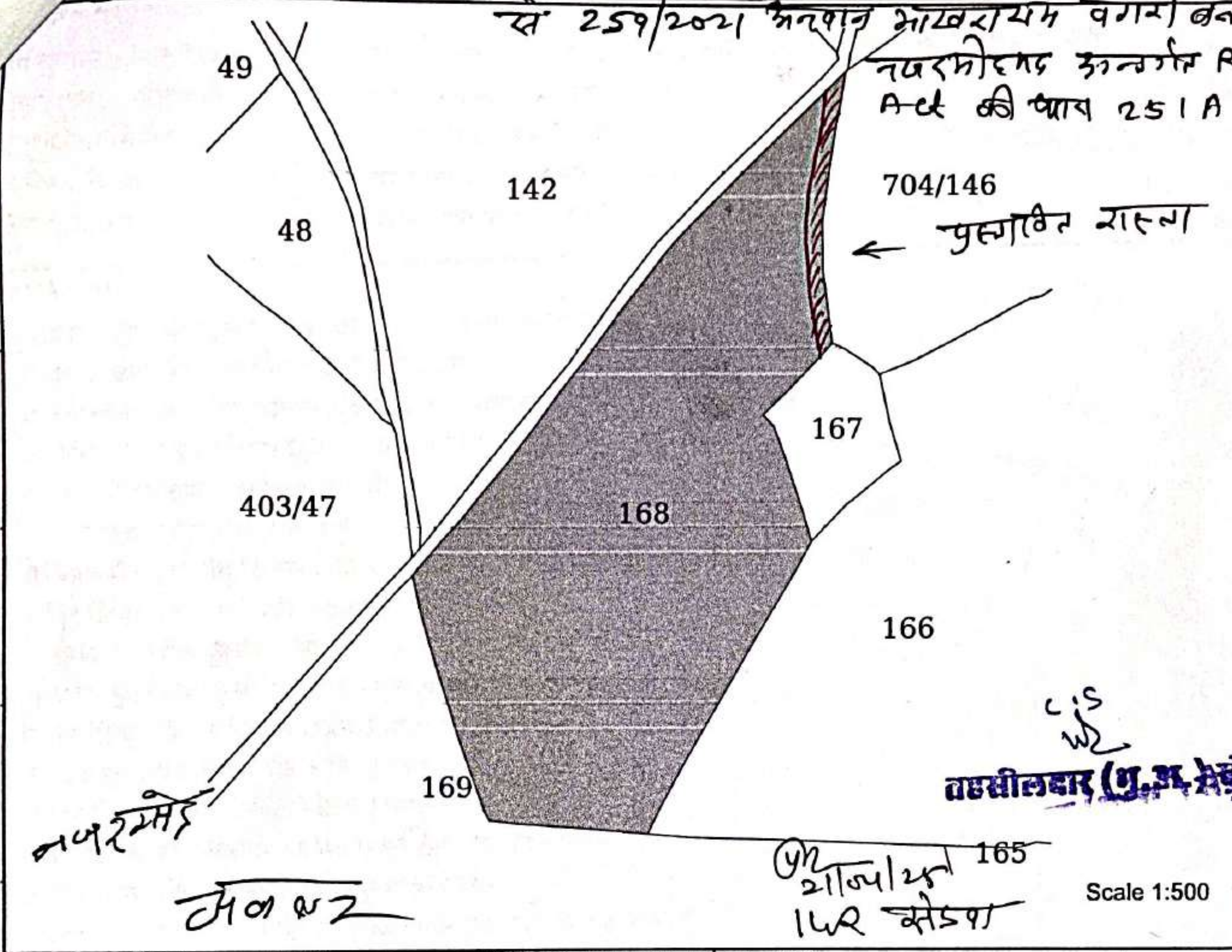

खसरा संख्या :168 क्षेत्रफल : 3.8688 Hectare खाता संख्या : 149पुराना खाता संख्या :127

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [3.8688, 0.74]

1.) अकबर पुत्र रहीम हिस्सा- 1/40 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/40 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा
10.) दाऊ पुत्र अलण हिस्सा- 1/8 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा
11.) नजरमोहमद पुत्र रहीम हिस्सा- 1/40 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/40 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा
12.) नाजी पत्नि रहीम हिस्सा- 1/40 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/40 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा
13.) लालमोहमद पुत्र रहीम हिस्सा- 1/40 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/40 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा
14.) सफीमोहमद पुत्र सदीक हिस्सा- 1/30 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
15.) सलीमत पत्नि सदीक हिस्सा- 1/30 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
2.) अब्दुला पुत्र हाजीपिनल हिस्सा- 1/6 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
3.) अरबाब पुत्र सदीक हिस्सा- 1/30 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
4.) इस्माईल पुत्र सदीक हिस्सा- 1/30 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
5.) करीम पुत्र हाजीपिनल हिस्सा- 1/6 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
6.) जमालदीन पुत्र रहीम हिस्सा- 1/40 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/40 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा
7.) जुसब पुत्र सदीक हिस्सा- 1/30 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार
8.) झण्डा पुत्र अलण हिस्सा- 1/8 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा
9.) ताजू पुत्र अलण हिस्सा- 1/8 जाति- मुसलमान सा. देह खातेदार हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा सेडवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:36:25 IST
Reason: SelfAttested

स[illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील